अनुसूची14 फारम सं. 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

11.11.2022

सहायक लोक अभियोजक, दुमका से मंतव्य प्राप्त ।

सहायक लोक अभियोजक, दुमका से प्राप्त मंतव्य का अवलोकन किया। सहायक लोक अभियोजक, दुमका द्वारा मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि "अवलोकनोपरांत शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0-50/2022 से संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट है कि यह आपराधिक वाद प्रथमतः धारा-414/34 भा0द0वि0 में पंजीकृत हुआ जिसमें अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के दौरान धारा-420, 467, 468,471 का समावेश किया गया है। चूँकि यह आपराधिक वाद, सामान्य दाण्डिक, संहिता (भा0द0वि0) के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा काण्ड के पंजीकरण, अनुसंधान अथवा पर्यवेक्षण किसी स्तर पर खनिजों की चोरी एवं उनके अवैध परिवहन को अधिशासित करने वाली विशेष विधियों का समावेश नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त काण्ड में जब्त 36 मिट्रिक टन कोयले के अधिहरण/राजसात की कार्यवाही धारा-452 दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा अधिशासित होगी, जिसमें जब्त सम्पत्तियों का निष्पादन यथास्थिति जाँच/विचारण के समापन पर किया जाना प्रवधानित है ।

अतः धारा-452 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आलोक में उक्त काण्ड के विचारण के समापन से पूर्व एवं इस संबंध में न्यायालय के आदेश के आभाव में जब्त 36 मिट्रिन टन कोयले को अधिहरित/राजसात किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा ।"

इस प्रकार सहायक लोक अभियोजक के मंतव्य से स्पष्ट है कि धारा-452 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आलोक में उक्त काण्ड के विचारण के समापन से पूर्व एवं इस संबंध में न्यायालय के आदेश के आभाव में जब्त 36 मिट्रिन टन कोयले को अधिहरित/राजसात किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में विषयांकित वाद पर किसी प्रकार का कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त मामला MMDR Act, 1957 के धारा-4 एवं अन्य प्रावधानों के उल्लघंन से भी संबंधित प्रतीत होता है। जिला खनन पदाधिकारी, दुमका वर्णित वाद में MMDR Act, 1957 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में OCR दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे तथा न्यायालय के अनुज्ञप्ति में नियमानुसार Confiscation हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 11:54:19 +05:30
Location: 169.254.227.244

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। तदनुसार इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, दुमका तथा थाना प्रभारी, शिकारीपाड़ा को भेजे ।

लेखापित

उपायुक्त,
दुमका ।

उपायुक्त,
दुमका ।

227 MB dt 19.11.22